न्यायालय–सत्र न्यायाधीश भदोही।
उपस्थित– दुर्ग नरायन सिंह
(एच0जे0एस0)
JO Code No.– UP5863

सत्र परीक्षण संख्या–320/2022

सी.एन.आर.नं०यू.पी.एस.एन.01–002328–2022

1– उ0प्र0राज्य ....अभियोजन पक्ष।

बनाम

1– नान्हक उर्फ राजेश पुत्र स्व० श्यामधर,

2– बवलेश पुत्र स्व० श्यामधर,

3– शकुंतला पत्नी स्व० श्यामधर

निवासीगण–चकगणेशा कावल, थाना–ज्ञानपुर, जिला–भदोही

.... अभियुक्तगण

मु०अ०सं०–28/2020,
धारा–323/34, 504, 308/34 भा०दं०सं०,
थाना–ज्ञानपुर ,जिला– भदोही।

<u>निर्णय</u>

1. थाना ज्ञानपुर की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण नान्हक उर्फ राजेश पुत्र स्व० श्यामधर, बवलेश पुत्र स्व० श्यामधर व शकुंतला पत्नी स्व० श्यामधर, निवासीगण–चकगणेशा कावल, थाना–ज्ञानपुर, जिला–भदोही के विरुद्ध मु०अ०सं०–28/2020, धारा–323, 504, 308 भा०दं०सं०, थाना–ज्ञानपुर ,जिला– भदोही के मामले में प्रेषित आरोप–पत्र के आधार पर विचारण किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रमापति यादव पुत्र स्व० रघुनाथ यादव द्वारा प्रभारी निरीक्षक ज्ञानपुर को दिनांक 27.10.2019 को लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 इस आशय से दी गई कि दिनांक 27.10.2019 को समय दिन के 02:00 बजे विपक्षीगण नान्हक उर्फ राजेश, बवलेश व बवलेश की औरत प्रार्थी के घर के पास अपनी दीवाल उठा रहे थें, जो कि प्रार्थी की जमीन है। इसी बात को लेकर के प्रार्थी ने जब मना किया, तो उपरोक्त विपक्षीगण प्रार्थी को लाठी–डण्डे व लात–मुक्कों से मारने–पीटने लगें, जिससे प्रार्थी, प्रार्थी की पत्नी सत्ती (सती) देवी व भतीजे

अरविंद यादव के शरीर पर काफी चोटें आईं। उक्त घटना को प्रार्थी के गाँव वालों ने देखा व बीच–बचाव किया। उपरोक्त विपक्षीगण जाते समय गालियाँ देते हुए चले गए। उक्त लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण नान्हक उर्फ राजेश, बवलेश व शकुंतला देवी के विरूद्ध मुकदमा मु०अ०सं०–28/2020 दिनांक–28.02.2020 को समय–22:54 बजे अंतर्गत धारा–323, 504, 308 भा०दं०सं० के अधीन थाना ज्ञानपुर, जिला भदोही पर पंजीकृत हुई, जो पत्रावली पर प्रदर्श क–7 है तथा उसकी कायमी उसी समय रपट नंबर 78 दिनांक 28.02.2020 समय 23.03 बजे किया गया जो शामिल मिसिल कागज संख्या प्रदर्श क– 9 है।

3. दौरान विवेचना राम बहादुर राय द्वारा वादी की निशानदेही पर घटना–स्थल का निरीक्षण कर दृष्टिचित्र प्रदर्श क–8 निर्मित किया गया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट का इन्द्राज केस डायरी में करने के पश्चात् विवेचक द्वारा सभी अभियोजन साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता दर्ज किए गए। उपरोक्त विवेचक द्वारा सिलसिलेवार क्रम में अग्रिम कार्यवाही करते हुए तमामी विवेचना, बयान वादी, निरीक्षण घटनास्थल, बयान गवाहान, अवलोकन इंजरी रिपोर्ट, एक्स–रे रिपोर्ट, एक्स–रे प्लेट, सी०टी० स्कैन रिपोर्ट, प्लेट व अन्य संकलित साक्ष्यों से उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–323, 504, 308 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में आरोप पत्र प्रदर्श क–10 न्यायालय में प्रेषित किया।

4. उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्राप्त होने के उपरान्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही द्वारा दिनांक–30.05.2020 को अन्तर्गत धारा–323, 504, 308 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन प्रसंज्ञान लिया गया और अभियोजन प्रपत्रों की नकलें अभियुक्तगण को धारा –207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदान की गयी। तत्पश्चात् प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण धारा–209 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन दिनांक–29.09.2022 को मामला सत्र न्यायालय में सुपुर्द किया गया।

5. सत्र परीक्षण विचारण हेतु प्राप्त होने के पश्चात् अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त आरोप विरचन के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनने के पश्चात् धारा–228 दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्राविधान के

अन्तर्गत दिनांक–03.11.2022 को अभियुक्तगण नान्हक उर्फ राजेश, बवलेश व शकुंतला देवी के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323/34, 504, 308/34 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन आरोप विरचित किया गया। उपरोक्त अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया और परीक्षण की मांग की।

6. अभियोजन कथानक को साबित करने के उद्देश्य से अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्षी के रूप में वादी मुकदमा रमापति यादव को पी0डब्लू0–1, अभियोजन साक्षी सत्ती (सती) देवी चोटहिल/चक्षुदर्शी साक्षी को पी0डब्लू–02, अभियोजन साक्षी अरविंद यादव चोटहिल/चक्षुदर्शी को साक्षी पी0डब्लू–03, अभियोजन साक्षी संजू देवी चोटहिल/चक्षुदर्शी साक्षी को पी0डब्लू–04, अभियोजन साक्षी डॉक्टर माधव कुमार बरनवाल चिकित्साधिकारी को पी०डब्लू०–05, अभियोजन साक्षी हेड मोहर्रिर छोटेलाल को पी०डब्लू०–06, अभियोजन साक्षी उप निरीक्षक राम बहादुर को पी०डब्लू०–07, अभियोजन साक्षी डॉक्टर कुंदन कुमार पटेल, रेडियोलॉजिस्ट को पी०डब्लू०–08, अभियोजन साक्षी डॉक्टर ए०के० गुप्ता, प्रोपराइटर जीवनदीप हॉस्पिटल को पी०डब्लू०–09 व अभियोजन साक्षी अनिकेत सिंह, सीनियर सी०टी० स्कैन एम०आर०आई० टेक्नीशियन चरकधर डायग्नोस्टिक सेण्टर बी०एच०यू० ट्रॉमा सेण्टर वाराणसी को पी०डब्लू०–10 के रूप में परीक्षित कराया गया है और साक्षीगण उपरोक्त द्वारा निम्नलिखित प्रपत्रों को नियमानुसार साबित किया गया है–

प्रदर्श क–1 – तहरीर, गवाह पी०डब्लू०–1 रमापति यादव द्वारा साबित,

प्रदर्श क–2 — आघात आख्या मजरूबा सत्ती (सती) देवी,

प्रदर्श क–3– पूरक आघात आख्या मजरूब सत्ती (सती) देवी,

प्रदर्श क–4– आघात आख्या मजरूब अरविंद यादव,

प्रदर्श क–5– मेडिकल रिपोर्ट रमापति यादव,

प्रदर्श क–2 लगायत प्रदर्श क– 5 गवाह पी०डब्लू० 5 डाक्टर माधव बरनवाल द्वारा साबित,

प्रदर्श क–7– एफ०आई०आर०, गवाह पी०डब्लू० 6 हे० मो० छोटेलाल द्वारा साबित,

प्रदर्श क–8– नक्शानजरी

प्रदर्श क–9– जी०डी० कायमी,

प्रदर्श क–10– आरोप पत्र,

प्रदर्श क –8 लगायत प्रदर्श क –10 गवाह पी०डब्लू० 7 विवेचक उ०नि० राम बहादुर राय द्वारा साबित,

प्रदर्श क–11– एक्स–रे रिपोर्ट, गवाह पी०डब्लू–8 डाक्टर कुंदन कुमार पटेल द्वारा साबित,

प्रदर्श क–12– एन०सी०सी०टी० हेड रिपोर्ट, सत्ती (सती) देवी,

प्रदर्श क–13– एडमिशन स्लिप,

प्रदर्श क–12 व प्रदर्श क–13 गवाह पी०डब्लू० 9 डाक्टर ए.के. गुप्ता द्वारा साबित,

प्रदर्श क–14– एन०सी०सी०टी० हेड रिपोर्ट सत्ती (सती) देवी,

प्रदर्श क– 14 गवाह पी०डब्लू० 10 डाक्टर अनिकेत सिंह द्वारा साबित।

7. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–1 रमापति यादव ने अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया और सशपथ कथन किया है कि मैं पढ़ा–लिखा नहीं हूँ, अपना हस्ताक्षर भी नहीं बना पाता हूँ। घटना हुए लगभग तीन साल हो गए। दोपहर लगभग दो बजे का समय था। मुल्जिमान आबादी की जमीन पर बाउंड्री बनवा रहे थे। मैं, अरविंद व सत्ती (सती) देवी ने जाकर मना किया कि पहले नाप कराकर तब निर्माण करवाइए। आपस में कहा–सुनी होने लगी। इतने में काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और आपस में धक्का–मुक्की होने लगी। इसी धक्का–मुक्की में मैं, अरविंद व सत्ती (सती) देवी गिर गए, जिससे मुझे , अरविंद के हाथ में और सत्ती (सती) देवी के सिर व शरीर में चोटें आयीं। किसके धक्का देने पर हम लोग जमीन पर गिर गए थे, भीड़ में नहीं देख सके थे। ज्यादा भीड़ होने के कारण कौन लोग गाली दे रहे थे, नहीं जान सके। घटना की सूचना मैंने एक आदमी से लिखवाकर थाने में अपना निशान अंगूठा लगाकर दिया था। रिपोर्ट में क्या लिखा था, लिखने वाले ने पढ़कर नहीं सुनाया था। शामिल–मिसिल तहरीर कागज संख्या 4अ/3 साक्षी को पढ़कर सुनाया गया व दिखाया गया तो उसने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया, जिस पर प्रदर्श क 1 डाला गया। अभियुक्त नान्हक उर्फ राजेश, बवलेश व शकुंतला देवी ने हम लोगों को मारा–पीटा नहीं था, न ही गाली दिया था। विवेचक मेरा कोई बयान नहीं लिए थे। इस स्तर पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही

घोषित किया गया।

8. उपरोक्त साक्षी पी0डब्लू0 1 रमापति यादव ने अपने प्रतिपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि विवेचक ने उसका कोई बयान नहीं लिया था, कैसे लिख लिया, इसकी वजह वह नहीं बता सकता। अभियुक्तगण नान्हक उर्फ राजेश, बवलेश व शकुंतला देवी ने उनको लाठी डण्डे से मारा पीटा नहीं था और न गाली गलौज दिए थे। उन्हे भीड़ मे धक्का–मुक्की से गिरने के कारण चोटें आई थीं। रिपोर्ट में उसने लिखने वाले को अभियुक्तगण का नाम नहीं बताया था। वह पढ़ा लिखा नहीं है। रिपोर्ट लिखने वाले ने बिना पढ़कर सुनाए रिपोर्ट पर उसका निशान अंगूठा लगवा लिया था। पुलिस ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। आज वह न्यायालय में बिना दबाव के स्वेच्छयापूर्वक सही बयान दे रहा है।

9. अभियोजन की ओर से साक्षी पी०डब्लू०–2 सत्ती (सती) देवी ने अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया और सशपथ कथन किया है कि वह पढ़ी लिखी नहीं है। घटना आज से लगभग तीन साल पहले की है। दोपहर का समय था। उसके विपक्षीगण नान्हक उर्फ राजेश, बवलेश व शकुंतला देवी आबादी की जमीन पर दीवाल बना रहे थे। उसके पति मना करने गए, तो कहा सुनी हो गई। शोर गुल की आवाज सुनकर वह, उसका नाती अरविंद मौके पर गए, तो देखे कि वहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा थी और धक्का–मुक्की होने लगी। उसी धक्का–मुक्की में वह गिर गई, जिससे ईंट पर गिरने से उसको चोट आ गई। गिरने से उसके नाती अरविंद को भी चोट लगी थी। वहाँ पर काफी भीड़ होने के कारण उसने धक्का व गाली देने वाले को नहीं जान पाई। उसके पति उसे इलाज हेतु अस्पताल ज्ञानपुर ले गए। वहाँ से इलाज हेतु बनारस ले गए। बनारस में उसका एक्स–रे व सी०टी० स्कैन हुआ था। उसके बाद उसका इलाज जीवनदीप अस्पताल भदोही में हुआ था। विवेचक ने उसका बयान नहीं लिया था। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करते हुए जिरह की अनुमति दी गई।

10. उपरोक्त साक्षी पी०डब्लू० 2 सत्ती (सती) देवी ने अपने प्रतिपरीक्षा में धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान से इंकार किया और कहा कि दारोगा जी उसका कोई बयान नहीं लिए थे, कैसे लिख लिए, वह नहीं बता सकती। घटनास्थल पर काफी भीड़ हो चुकी थी। भीड़ की धक्का–मुक्की में ईंट पर गिरने से उसे व उसके नाती

अरविंद कुमार को चोटें आई थीं। भीड़ में कौन क्या गाली दिया था, वह नहीं सुन सकी। दारोगा जी उसका कोई बयान नहीं लिए थे। उसके पति लोगों के कहने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा लिखवा दिए थे। अभियुक्तगण उसे व उसके नाती अरविंद को मारे पीटे नहीं थे, न गाली दिए थे। आज वह न्यायालय में स्वेच्छयापूर्वक सही बयान दे रही है।

11. अभियोजन की ओर से साक्षी पी०डब्लू०–3 अरविंद कुमार ने अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया और सशपथ कथन किया है कि घटना दिनांक 27.10.2019 को दिन के दो बजे की है। उसके गाँव के नान्हक उर्फ राजेश, बवलेश व बवलेश की माँ शकुंतला देवी आबादी की जमीन में दीवाल बना रहे थे। उसके दादा रमापति यादव से उन लोगों की दीवाल बनाने की बात को लेकर के कहा सुनी होने लगी। शोर सुनकर वह व उसकी दादी सत्ती (सती) देवी व गाँव के अन्य तमाम लोग मौके पर पहुँच गए। वहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ में भगदड़ हो गई। धक्का मुक्की व भगदड़ में गिरने से उसे व उसकी दादी को चोटें आई थीं। उनका इलाज ज्ञानपुर में हुआ था। ज्ञानपुर से उसकी दादी कबीरचौरा बनारस के लिए रेफर हुई थी। उसकी दादी का दवा इलाज बी०एच०यू० तथा बाद में जीवन दीप अस्पताल में हुआ था। उसे मुल्जिमान नहीं मारे पीटे थे, न उसकी दादी को मारे पीटे थे। उसे व उसकी दादी को गिरने से चोटे आई थी। दारोगा जी ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। इस स्तर पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करते हुए जिरह की अनुमति दी गई।

12. उपरोक्त साक्षी पी०डब्लू०–3 अरविंद यादव ने अपने प्रतिपरीक्षा में धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान से इंकार किया और कहा कि दारोगा जी उसका कोई बयान नहीं लिए थे। कैसे लिख लिए, वह वजह नहीं बता सकता। उपरोक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि वह मुल्जिमान से मिलकर उन्हें बचाने के लिए झूठा बयान दिया हो और मुल्जिमान के मारने से उन लोगों को चोटें आई हों। उपरोक्त साक्षी अरविंद यादव पी०डब्लू०–3 से बचाव पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि विवेचक उसका कोई बयान नहीं लिए थें। मुल्जिमान नान्हक उर्फ राजेश, बवलेश व शकुंतला देवी ने उन लोगों को मारा पीटा नहीं था और न मुल्जिमानों के मारने से उन्हें चोटें आई थीं। मुल्जिमान उनको गाली नहीं दिए थें। भीड़ व

भगदड़ में गिरने से उसे व उसकी दादी सत्ती (सती) देवी को चोटें आई थीं। आज वह न्यायालय में बिना दबाव के स्वेच्छयापूर्वक सही बयान दे रहा है।

13. अभियोजन की ओर से साक्षी पी०डब्लू०–4 संजू देवी ने अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया और सशपथ कथन किया है कि घटना दिनांक 27.10.2019 को दिन के दो बजे की है। वह घर पर थी। उसके सास, ससुर व नान्हक उर्फ राजेश आदि के बीच आबादी की जमीन को लेकर के विवाद हुआ था। उसने सुना था कि वाद विवाद के दौरान मौके पर काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। वहाँ भीड़ में भगदड़ होने व ईंट पत्थर चलने की बात भी उसके घर वाले बताए थे। वहीं भगदड़ में उसकी सास व उसके भतीजे अरविंद को गिरने से चोटें आई थीं। उन लोगों का इलाज हुआ था। वह मौके पर नहीं गई थी और न उसके सामने कोई घटना हुई थी। विवेचक ने उसका बयान नहीं लिया था।

14. उपरोक्त साक्षी संजू देवी पी०डब्लू०–4 को भी विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित करते हुए जिरह की अनुमति दी गई, तो उपरोक्त साक्षी ने धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता से इंकार किया और कहीं कि विवेचक उसका कोई बयान नहीं लिए थे, कैसे लिख लिए, वह वजह नहीं बता सकती। उपरोक्त साक्षी ने अभियोजन के भी सुझाव से इंकार किया है कि वह घटना के समय मौके पर थी और घटना होते देखी थी तथा वह मुल्जिमान से मिलकर उन्हें बचाने के लिए झूठा बयान दे रही है। उपरोक्त साक्षी संजू देवी पी०डब्लू० 4 ने बचाव पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दारोगा जी उसका कोई बयान नहीं लिए थे। वह घटना के समय मौके पर नहीं थी, घर पर थी। मौके पर काफी भीड़ होने व भगदड़ होने के कारण उसकी सास व भतीजे अरविंद को चोट आने की बात उसके घर वाले उसे बताए थें। आज वह न्यायालय में बिना दबाव के स्वेच्छयापूर्वक सही बयान दे रही है।

15. अभियोजन की ओर से साक्षी पी०डब्लू०–5 डॉ० माधव कुमार बरनवाल ने अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 27.10.2019 को वह महाराजा चेतसिंह जिला अस्पताल, ज्ञानपुर में चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात थें। उस दिन सत्ती (सती) देवी पत्नी रमापति यादव के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण स्वयं द्वारा 02:15 पी०एम० पर किया गया, जिसमें निम्न चोटें पाई गईं–

चोट नं० 1– फटा हुआ घाव 4.5 cm x 0.1 cm x हड्डी तक गहरा, दोनो पैराइटल बोन के बीच में सिर पर ऊपर था। रक्त स्राव हो रहा था। निगरानी में रखा गया व सिर के एक्स–रे की सलाह दी गई। यह चोट दाहिने कान के 13 से०मी० ऊपर थी।

चोट नं० 2– फटा हुआ घाव 4.5cm x 0.1 cm x scalp deep, दाहिने पैराइटल रीजन पर था। दाहिने कान से आठ से०मी० ऊपर था।

चोट नं० 3– फटा हुआ घाव 2 cm x 0.1 cm x scalp deep frontal bone region पर जो दाहिने आँख के भौं से सात से०मी० ऊपर था, रंग लाल था।

चोट नं० 4– फटा हुआ घाव 1.5 cm x 0.1 cm x मसल डीप, ढुड्डी के दाहिने तरफ नीचे था। रक्त स्राव हो रहा था।

चोट नं० 5– फटा हुआ घाव 0.8 cm x 0.1/2 cm x सबक्यूटेनियस डीप दाहिने गाल पर नाक से चार से०मी० दूर, रक्त स्राव हो रहा था।

सभी चोटें सख्त कुंदालेह से पहुँचाई गई थी। चोट नं० 1 के अतिरिक्त शेष चोटें साधारण प्रकृति की थी। चोट नं० 1 को एक्स रे लिए संयुक्त अस्पताल रेफर किया गया, क्योंकि उक्त अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट नियुक्त नहीं थे।

उपरोक्त मजरूब की पूरक इंजरी रिपोर्ट दिनांक 27.10.2019 को घटी घटना के बाबत एक्स–रे दिनांकित 02.11.2019 के अनुपालन में दिनांक 01.01.2020 को तैयार किया था, जिसको डॉ० कुंदन कुमार पटेल, सीनियर रेडियोलॉजिस्ट पं० दीन दयाल उपाध्याय वाराणसी ने तैयार किया था। एक्स– रे रिपोर्ट के अनुसार दाहिने पैराइटल बोन में फ्रैक्चर होने की संभावना व्यक्त की गई थी, इसलिए सर के सी०टी० स्कैन के लिए बी०एच०यू० अस्पताल हेतु रेफर उनके द्वारा किया गया था।

उसी दिन समय 2.30 पी.एम. पर मजरूब अरविंद यादव के शरीर पर आई चोटों का चिकित्सकीय परीक्षण किया। उसके शरीर पर निम्न चोटें पाई गई–

चोट नं० 1– सिर के पिछले आक्सीपीटल रीजन में तथा सीने के पिछले हिस्से में दर्द की शिकायत बताया। कोई जाहिरा चोट नहीं थी। सिर में पिछले हिस्से में दर्द और सीने के पिछले हिस्से में दर्द बताया, कोई जाहिरा चोट नहीं थी।

उसी दिन मजरूब रमापति यादव के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण किया, तो उसके शरीर पर निम्न चोटें पाई गईं–

चोट नं० 1– खरोंच 4.5 cm x 2 cm दाहिने भुजा के आगे और बाहरी हिस्से में थी। रंग लाल था। उसके साथ सूजन निलगू 7 cm x 2 cm मौजूद थी। उपरोक्त चोट सख्त व कुंदालेह वस्तु से पहुँचाई गई थी, साधारण प्रकृति की थी। चोटें ताजी थीं। इंजरी रिपोर्ट शामिल मिसिल कागज संख्या 6अ/3, 6अ/5, 6अ/4, 6अ/2 मेरे लेख व हस्ताक्षर में मेरे सामने है, जिन पर मजरूबों के पहचान चिह्न व निशान अंगूठा अंकित एवं मेरे द्वारा प्रमाणित है, जिनकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिन पर क्रमशः प्रदर्श क–2, प्रदर्श क–3, प्रदर्श क–4 व प्रदर्श क–5 डाला गया।

16. उपरोक्त साक्षी डॉ० माधो कुमार बरनवाल पी०डब्लू०–5 ने अपने प्रतिपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि सत्ती (सती) देवी की चोट नं० 1 बाएं हिस्से के बल किसी ठोस चीज पर गिरने या टकराने से आना संभव है। सभी चोटें किसी ठोस चीज पर गिरने या टकराने से आ सकती है। एक्स –रे रिपोर्ट से सम्बन्धित डॉक्टर द्वारा फ्रैक्चर होना नहीं लिखा है, बल्कि फ्रैक्चर होने के संभावना अंकित किया है। अरविंद को कोई जाहिरा चोट नहीं थी। दर्द की शिकायत झूठी भी हो सकती है। रमापति को आई चोटें किसी ठोस वस्तु से रगड़ से आना संभव है।

17. अभियोजन की ओर से साक्षी पी०डब्लू०–6 हेड मोहर्रिर छोटे लाल ने अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 28.02.2020 को थाना ज्ञानपुर में हे० कां० के पद पर अपनी तैनाती के दौरान उस दिन उ०नि० राम बहादुर राम द्वारा रपट नं० 78 समय 23:03 बजे एन०सी०आर० नं० 119/2019 धारा 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता में मजरूबा सत्ती (सती) देवी पत्नी रामपति यादव के सी०टी० स्कैन रिपोर्ट मय प्लेट के अवलोकन से धारा 308 भारतीय दण्ड संहिता की बढोत्तरी का तस्कीरा दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 28/2020 धारा– 323, 504, 308 भारतीय दण्ड संहिता दिनांक 28.02.2020 को समय 22:54 बजे मेरे द्वारा सी०सी०टी०एन०एस० पर बोलकर टाइप कराया गया, जिसकी प्रति शामिल मिसिल का कागज संख्या 4अ/1, 4अ/2 मेरे सामने है, जिस पर तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक के हस्ताक्षर है, जिसकी पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क– 7 डाला गया। विवेचक मेरा बयान लिए थे। उपरोक्त साक्षी पी0डब्लू0 6 हेड मोहर्रिर छोटे लाल ने अपने प्रतिपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि एफ०आई०आर० टाइप करने वाले ऑपरेटर का नाम याद नहीं है। प्रदर्श क– 7 पर मेरा हस्ताक्षर नहीं है।

इसमें घटना दिनांक 27.10.2019 अंकित है, जिसमें समय 14:00 बजे अंकित है।

18. अभियोजन की ओर से साक्षी पी०डब्लू०–7 उ०नि० राम बहादुर राय ने अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 27.10.2019 को थाना ज्ञानपुर जिला भदोही में उ०नि० के पद पर तैनात था। उस दिन थाना स्थानीय पर एन०सी०आर० नं० 119/2019 धारा 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता पंजीकृत हुआ था। न्यायालय के आदेश दिनांकित 21.12.2019 के अनुपालन में मैंने विवेचना ग्रहण किया। पर्चा नं०– 1 में विवेचना ग्रहण कर नकल चिक, नकल रपट कायमी अवलोकन आदेश माननीय न्यायालय, अवलोकन प्रार्थना पत्र, बयान एफ०आई०आर० लेखक, अवलोकन इंजरी रिपोर्ट किया तथा वादी रमापति का बयान अंकित किया एवं घटनास्थल का निरीक्षण वादी के निशानदेही पर किया। नक्शानजरी तैयार किया। नक्शानजरी काजग संख्या 5 अ मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया है। बयान चश्मदीद साक्षी संजू देवी, चंदा देवी, मजरूब अरविंद यादव, सत्ती (सती) देवी, बयान डॉ० माधो कुमार बरनवाल अंकित किया। पर्चा नं० 2 दिनांक 25.01.2020 में एक्स–रे रिपोर्ट मजरूबा सत्ती (सती) देवी अवलोकन, बयान रेडियोलॉजिस्ट डॉ० कुंदन कुमार पटेल दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल वाराणसी अंकित किया। पर्चा नं०–3 दिनांक 01.02.2020 में बयान मजरूब रमापति यादव अंकित किया एवं इंजरी रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा बयान डॉ० अजीत कुमार गुप्ता जीवनदीप हॉस्पिटल अंकित किया। पर्चा नं०–4 दिनांक 05.02.2020 में पुनः मेडिकल कराने का उल्लेख है। पर्चा नं० –5 दिनांक 28.02.2020 में अवलोकन सी०टी० स्कैन मजरूबा सत्ती (सती) देवी, बयान रेडियोलॉजिस्ट डॉ० उदयभान सिंह, मजीद बयान मजरूबा सत्ती (सती) देवी अंकित कर धारा –308 भारतीय दण्ड संहिता की बढ़ोत्तरी की गई। रपट संख्या 78 समय 23:03 बजे दिनांक 28.02.2020 को जी०डी० में धारा 308 भारतीय दण्ड संहिता की बढ़ोत्तरी का इंद्राज किया था, जिसकी प्रति शामिल मिसिल कागज संख्या 9अ/1 मेरे सामने है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया। पर्चा नं०–6 दिनांक 28.02.2020 को ही किता किया गया था, जिसमें एन०सी०आर० से मुकदमा अपराध संख्या 28/2020 धारा –323, 308, 504 भारतीय दण्ड संहिता में तरमीम किया गया और नकल तहरीर नकल वादी, नकल कायमी, बयान एफ०आई०आर० लेखक तथा अभियुक्तों के

बयान अंकित किया। विवेचना से संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण बवलेश यादव, शकुंतला देवी, नान्हक उर्फ राजेश के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 18/2020 अंतर्गत धारा 323, 504, 308 भारतीय दण्ड संहिता न्यायालय प्रेषित किया। आरोप–पत्र दिनांक 29.02.2020 को प्रेषित किया गया था, जो कम्प्यूटराइज्ड शामिल मिसिल कागज संख्या 3अ/1 लगायत 3अ/4 मेरे सामने है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। आरोप पत्र पर प्रदर्श क– 10 डाला गया।

19. अभियोजन की ओर से साक्षी पी०डब्लू०–8 डॉ० कुंदन कुमार पटेल, रेडियोलॉजिस्ट ने अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 02.11.2019 को वह रेडियोलॉजिस्ट के पद पर दीनदयाल राजकीय चिकित्सालय वाराणसी में सम्बद्ध था। उस दिन मजरूबा सत्ती (सती) देवी पत्नी रमापति यादव निवासी चकगनेशा, थाना ज्ञानपुर, जिला भदोही का जिला चिकित्सालय भदोही द्वारा सिर के एक्स–रे हेतु रेफर करने के अनुपालन में उन्होंने सिर का एक्स–रे करते हुए एक्स रे रिपोर्ट तैयार किया था। मजरूबा के सिर में राइट पेराइटल बोन में फ्रैक्चर की संभावना पाया तथा सुनिश्चित करने हेतु सी०टी० स्कल सलाह देकर बी०एच०यू० मेडिकल कॉलेज में मरीज को संदर्भित किया था। एक्स– रे रिपोर्ट शामिल–मिसिल कागज संख्या 8अ/2 छायाप्रति मेरे सामने है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है तथा थाने द्वारा प्रमाणित है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, एक्स–रे रिपोर्ट पर प्रदर्श क–11 डाला गया। प्रदर्श डालने पर बचाव पक्ष द्वारा आपत्ति की गई।

20. उपरोक्त साक्षी पी0डब्लू0 8 डॉ० कुंदन कुमार पटेल, रेडियोलॉजिस्ट ने अपने प्रतिपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि सत्ती (सती) देवी का एक्स रे मेरी देख–रेख में टेक्नीशियन द्वारा किया गया था और रिपोर्ट मैंने तैयार किया था। एक्स– रे रिपोर्ट की छायाप्रति प्रमाणित है। मूल प्रति नहीं है और न रजिस्टर मेरे सामने है। मुझे एक्स– रे में स्पष्ट फ्रैक्चर नहीं मिला था। सुनिश्चित करने हेतु मैंने रेफर किया था। मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि मजरूबा का पैराइटल बोन फ्रैक्चर हुआ था या नहीं।

21. अभियोजन की ओर से साक्षी पी०डब्लू०–9 डॉ० ए०के० गुप्ता ने अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 30.10.2019 को श्रीमती सत्ती (सती) देवी उसके अस्पताल में एन०सी०सी०टी० हेड हेतु आई थी, जिसे उन्होने रेडियोलॉजिस्ट डॉ० शौर्य शर्मा को एन०सी०सी०टी० हेड हेतु संदर्भित किया था। डॉ०

शौर्य शर्मा द्वारा सत्ती (सती) देवी का एन०सी०सी०टी० हेड करके रिपोर्ट टाइपशुदा अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया था। डॉ० शौर्य शर्मा मेरे अस्पताल में कार्यरत रहे हैं। उन्हे लिखते पढ़ते देखा हूं। मैं उनके लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। एऩ०सी०सी०टी० शामिल मिसिल कागज संख्या 8अ/3 डॉ० शौर्य शर्मा के हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क –12 डाला गया। प्रदर्श डालने पर बचाव पक्ष द्वारा आपत्ति की गई। सत्ती (सती) देवी मेरे अस्पताल में दिनांक 02.11.2019 को इलाज हेतु भर्ती हुई, जो दिनांक 12.11.2019 को डिस्चार्ज हुई थी। बेड हेड टिकट की छायाप्रति कागज संख्या 8अ/4 लगायत 8अ/9 मेरे सामने है, जो मेरे अस्पताल से सम्बन्धित है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क –13 डाला गया।

22. उपरोक्त साक्षी पी0डब्लू0 9 डॉ० ए०के० गुप्ता ने अपने प्रतिपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मजरूबा सत्ती (सती) देवी ने नहीं बताया था कि उसे चोट कब और कैसे आई थी। सत्ती (सती) देवी के सर का इलाज उसके अस्पताल में हुआ था। सत्ती (सती) देवी के इलाज से सम्बन्धित मूल एन०सी०सी०टी० हेड रिपोर्ट व प्लेट मजरूबा को दे दिया गया था। मरीज से सम्बन्धित बेड हेड टिकट की मूल पत्रावली तीन साल बाद विनष्ट कर दी जाती है। उपरोक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मजरूबा सत्ती (सती) देवी चोट के बल गिरने से उसके सिर में ऐसी चोट आना संभव है। यह चोट ईंट–पत्थर से या गिरने से आ सकती है।

मिलाया गया।

23. अभियोजन की ओर से साक्षी पी०डब्लू०– 10 डा० अनिकेत सिंह सीनियर सी०टी० एम०आर०आई० टेक्निशियन ने अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 05.02.2020 को मैं उपरोक्त संस्थान में उपरोक्त पद पर भी कार्यरत था। मजरूबा सत्ती (सती) देवी उम्र 60 साल के सी०टी० हेड सी०टी०स्कैन डा० अविनाश सिंह द्वारा किया गया था। जिसमें मजरूबा के सिर में दाईं तरफ ऊपरी हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया तथा उसी जगह पर खून का जमाव भी था। मैं डाक्टर अविनाश सिंह के साथ संस्थान में कार्यरत हूं और उनके हस्ताक्षर को पहचानता हूं। एन.सी.सी.टी. हेड शामिल मिसिल कागज संख्या 8अ/10 मेरे सामने है, जो डाक्टर अविनाश सिंह के हस्ताक्षर में है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क 14 डाला गया। प्रदर्श डालने पर बचाव पक्ष द्वारा आपत्ति की गयी। उपरोक्त साक्षी पी0डब्लू0 10

डा० अनिकेत सिंह ने अपने प्रतिपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मजरूबा हमारे यहां होश में आयी थी या बेहोश में थी, वह बोल रही थी या नहीं मैं नहीं बता सकता क्योंकि इस समय याद नही है। उक्त चोट ठोस वस्तु पर गिरने व टकराने से आ सकती है।

24. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया और अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया। तदुपरान्त अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक से इंकार किया है । अभियुक्तगण राजेश उर्फ नान्हक व शकुन्तला ने अपने अतिरिक्त कथन में यह कहा है कि जमीनी विवाद को लेकर के वादी ने झूठा मुकदमा किया है और वे निर्दोष हैं। अभियुक्त बवलेश यादव ने अपने अतिरिक्त कथन में कहा है कि जमीनी विवाद को लेकर के वादी ने झूठा मुकदमा किया है। प्रार्थी 50% विक्लांग है और निर्दोष है। बचाव पक्ष की ओर से प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

25. मैंने राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

26. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षी वादी मुकदमा रमापति यादव पी.डब्लू.1 द्वारा अपने मुख्य परीक्षा के बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित चोटहिल साक्षियों द्वारा भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है और औपचारिक साक्षियों द्वारा मात्र अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन कथानक को साबित नहीं कराये जाने के कारण अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

27. उपरोक्त अभियोजन कथानक,उसके समर्थन में प्रस्तुत मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य तथा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के उपरोक्त तर्क के आलोक में अब यह विश्लेषण किया जाना वांछित है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

28. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पी0 डब्लू01 के रूप में परीक्षित वादी मुकदमा रमापति यादव द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन न करते हुए यह कथन किया है कि घटना हुए लगभग तीन साल हो गए। दोपहर लगभग दो बजे का समय था। मुल्जिमान आबादी की जमीन पर बाउंड्री बनवा रहे थे। वह, अरविंद व सत्ती (सती) देवी ने जाकर मना किया कि पहले नाप कराकर तब निर्माण करवाइए। आपस में कहा–सुनी होने लगी। इतने में काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और आपस में धक्का–मुक्की होने लगी। इसी धक्का–मुक्की में वह, अरविंद व सत्ती (सती) देवी गिर गए, जिससे उसके , अरविंद के हाथ में और सत्ती (सती) देवी के सिर व शरीर में चोटें आयीं। किसके धक्का देने पर वे लोग जमीन पर गिर गए थे, भीड़ में नहीं देख सके थे। ज्यादा भीड़ होने के कारण कौन गाली दे रहा था, वे नहीं जान सके। अपने प्रतिपरीक्षा में भी साक्षी वादी मुकदमा रमापति यादव द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण नान्हक उर्फ राजेश, बवलेश व शकुंतला देवी ने उनको लाठी–डण्डे से मारा– पीटा नहीं था और न गाली–गलौज दिए थे। उन्हें भीड़ मे धक्का–मुक्की से गिरने के कारण चोटें आई थीं। रिपोर्ट में उसने लिखने वाले को अभियुक्तगण का नाम नहीं बताया था। वह पढ़ा लिखा नहीं है। रिपोर्ट लिखने वाले ने बिना पढ़कर सुनाए रिपोर्ट पर उसका निशान अंगूठा लगवा लिया था। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षण में दिए गए बयान से यह स्पष्ट होता है कि उसने लोगों के बताने के आधार पर घटना के सम्बन्ध में तहरीर लिखकर थाने में दिया था। इस साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित करते देखे जाने के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्तिगत जानकारी होने से इंकार किया है। अभियोजन साक्षीगण पी०डब्लू० 5 डाक्टर माधव कुमार बरनवाल, पी०डब्लू० 6 हे० मो० छोटेलाल, पी०डब्लू० 7 उ०नि० राम बहादुर राय, पी०डब्लू० 8 डाक्टर कुंदन कुमार पटेल, पी०डब्लू० 9 डाक्टर ए.के. गुप्ता, पी०डब्लू० 10 डाक्टर अनिकेत सिंह जो कि औपचारिक साक्षीगण है और इन साक्षीगण द्वारा अपने सशपथ साक्ष्य में संबंधित कागजात को प्रदर्श द्वारा साबित किया है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित उपरोक्त औपचारिक साक्षीगण ने अपने सशपथ साक्ष्य में प्रदर्श क–2 लगायत प्रदर्श क–14 को साबित किया है।

29. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षी वादी मुकदमा रमापति यादव पी.डब्लू.1 के बयान के सम्यक विश्लेषण से वादी मुकदमा द्वारा

तहरीर में किये गये अभिकथन कि अभियुक्तगण द्वारा लात मुक्का व लाठी डंडा से मारे पीटे जाने से वादी मुकदमा, उसकी पत्नी सत्ती देवी व अरविन्द यादव,को चोटें आना साबित नहीं होता है। चोटहिल साक्षियों यथा सत्ती देवी,अरविंद यादव व संजू देवी द्वारा स्वयं को उक्त घटना के दौरान भीड़ में धक्का मुक्की व भगदड़ के कारण गिर जाने से स्वयं को बेहोश होना कहा गया है तथा चोटहिल साक्षीगण द्वारा उक्त चोटे अभियुक्तगण द्वारा कारित किये जाने के सम्बन्ध में कोई बयान नहीं दिया गया है। यद्यपि, चोटहिलों के शरीर पर उपरोक्तानुसार चोटें आना दर्शित किया गया है किन्तु, उपरोक्त चोटहिल साक्षीगण द्वारा उपरोक्तानुसार अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार अभियोजन द्वारा परीक्षित उपरोक्त चोटहिल साक्षियों के साक्ष्य से यह तथ्य साबित नहीं होता कि अभियुक्तगण उपरोक्त के मारने पीटने से चोटहिलों को उपरोक्त चोटें आयीं। जबकि चिकित्सक साक्षी द्वारा यह राय दी गयी है कि चोटहिलों को उपरोक्त चोटें गिरने या किसी ठोस वस्तु के टकराने से भी आ सकती हैं। उपरोक्त तथ्य के साक्षियों द्वारा अभियुक्तगण द्वारा गाली व धमकी देने के तथ्य से इंकार किया गया है।

30. उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्य के साक्षी वादी मुकदमा, चोटहिल साक्षीगण के सशपथ कथन से व औपचारिक साक्षीगण डाक्टर माधव बरनवाल पी०डब्लू० 5 जिसके द्वारा आघात आख्या सत्ती देवी, आघात आख्या अरविंद व आघात आख्या रमापति प्रदर्श क –2 लगायत प्रदर्श क–5, हे०मोहर्रिर छोटेलाल पी०डब्लू०–6, जिनके द्वारा एफ.आई.आर. प्रदर्श क–7, उ०नि० रामबहादुर राय पी०डब्लू० 7 जिसके द्वारा नक्शा नजरी प्रदर्श क–8, जी०डी० प्रदर्श क–9, आरोप पत्र प्रदर्श क–10, डाक्टर कुन्दन कुमार पटेल पी०डब्लू० 8 जिसके द्वारा एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श क –11, डाक्टर ए०के० गुप्ता पी०डब्लू० 9 जिसके द्वारा एन.सी.सी. टी. हेड रिपोर्ट सत्ती देवी प्रदर्श क–12 व एडमिश्न स्लिप प्रदर्श क–13 तथा डाक्टर अनिकेत सिंह पी०डब्लू० 10 जिसके द्वारा एन.सी.सी. टी. हेड रिपोर्ट सत्ती देवी प्रदर्श क–14 को साबित किया गया है, से अभियोजन कथानक बखूबी साबित नहीं होता। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष, अभियोजन कथानक को तथ्य के अभियोजन साक्षीगण द्वारा दिये गये उपरोक्त बयान के आधार पर साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। तद्नुसार, अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण नान्हक उर्फ राजेश, बवलेश

व शकुन्तला के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323/34, 504, 308/34 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त आरोपित अपराध से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

31. उपरोक्त विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि तथ्य के साक्षीगण रमापति यादव पी०डब्लू० 1 सत्ती (सती) देवी पी०डब्लू० 2, अरविंद यादव पी०डब्लू० 3 व संजू देवी पी०डब्लू० 4 ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है और उन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह दर्शित होता है कि उनके द्वारा मिथ्या साक्ष्य दिया गया है, जिसके लिये उनके विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 344/ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 383 के अधीन कार्यवाही किये जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्तगण नान्हक उर्फ राजेश पुत्र स्व० श्यामधर, बवलेश पुत्र स्व० श्यामधर व शकुंतला पत्नी स्व० श्यामधर को अपराध अंतर्गत धारा–323/34, 504, 308/34 भा०दं०सं० के आरोप से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। आज न्यायालय में उपस्थित है, उन्हें आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। उनके जमानत बंधपत्र निरस्त करते हुए प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

मामले में वस्तु प्रदर्श यदि कोई हो तो उसे बाद मियाद अपील या अपीलीय न्यायालय के आदेशाधीन नियमानुसार विनष्ट किया जाये।

चूंकि, अभियुक्तगण– नान्हक उर्फ राजेश पुत्र स्व० श्यामधर, बवलेश पुत्र स्व० श्यामधर व शकुंतला पत्नी स्व० श्यामधर द्वारा पूर्व में ही अन्तर्गत धारा–437 क दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा– 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन मु०–50,000/–रूपये का बंधपत्र व इसी धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त बंधपत्र से आबद्ध होगें और इस निर्णय के विरूद्ध राज्य द्वारा प्रस्तुत अपील पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु भी बाध्य होंगे।।

साक्षीगण–रमापति यादव पी०डब्लू० 1, सत्ती (सती) देवी पी०डब्लू०–

2, अरविंद यादव पी०डब्लू–3 व संजू देवी पी०डब्लू०–4 के विरूद्ध प्रकीर्ण दाण्डिक वाद अन्तर्गत धारा–344 दण्ड प्रक्रिया संहिता/ धारा–383 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन दर्ज हो तथा उपरोक्त साक्षीगण के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी हो। उक्त प्रकीर्णवाद की पत्रावली दिनांक 03–03–2025 को सुनवाई हेतु पेश हो।

दिनांक–14.02.2025

(दुर्ग नरायन सिंह)
सत्र न्यायाधीश
भदोही।
J.O. Code NO.– UP 5863

निर्णय आज खुले न्यायालय में तिथि सहित हस्ताक्षर करके मेरे द्वारा उदघोषित किया गया।

दिनांक–14.02.2025

(दुर्ग नरायन सिंह)
सत्र न्यायाधीश
भदोही।
J.O. Code NO.– UP 5863

Digitally signed by DURG NARAIN SINGH
Date: 2025.02.14 16:37:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court